

क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 28 JUL 2020

—: आदेश :—

इस विभाग के आदेश क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक: 15.06.2020 के द्वारा निम्नांकित आवंटी को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर के अस्थाई आवास का निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	विनोद कुमारी, लेखाधिकारी (प्रशिक्नु), हरिश्चन्द्र माधुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	5400/- L-14	55/TH 2019	21 OTH


राज्यपाल की आज्ञा से



(डा० मोहन लाल यादव)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष।
3. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

  
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 28 JUL 2020

## -: आज्ञा :-

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री राजेश सुवालका, (आर.ए.एस), कार्यकारी निदेशक परिवेदना निस्तारण, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी, जयपुर	5400/- L-14	8/TH 2020	F-3/4 NTH
2.	भारती शेखावत, लेखाधिकारी (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर राज0 राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	5400/- L-14	1/TH 2020	01 OTH

राज्यपाल की आज्ञा से

50

(डॉ० मोहन लाल यादव)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डालें।
7. रक्षित पत्रावली।

28/7/2020  
विशिष्ट शासन सचिव